8/4/21. पत्रावली पेश हुई विपक्षी श्री रवि पंचाल एवं विभागीय पैरोकार उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसकी प्रति विभागीय पैरोकार को दी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 8 गैस सिलेण्डर (घरेलू) मय गैस को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। DSO. बांसवाड़ा उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। DSO बांसवाड़ा को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली मियाद फैसल शुमार हो।

रवि पंचाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.28 09:53:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01 / 2021
रजि.संख्या : 2021 / 00022

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री रवि पंचाल पुत्र श्री नीरज पंचाल हिरो शोरुम के सामने, उदयपुर रोड, श्याम कोलोनी, बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनिय म, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000

दिनांक :– 05.04.2021

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि "शहर में गैस सिलेण्ड्रों का अवैध कारोबार करने की सूचना पर मैसर्स जोशी ऑटो गैस हिरो शोरूम के सामने उदयपुर रोड़ बांसवाड़ा मे जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व मे श्री सोहन सिंह चौहान प्रवर्तन निरीक्षक, श्री लाल शंकर डामोर प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर जाकर जांच एवं तलाशी की गई जिसमें निम्न तथ्य पाये गये :–

मौके पर दुकान पर सागर गैस सर्विस (बी.पी.सी.एल) का रिफिल डिलेवरी वाहन टाटा एस न. आर.जे. 03 जी.ए. 3437 खड़ा पाया गया। वाहन का चालक कम डिलेवरी मेन मणीलाल पिता हुकिया जी चरपोटा वाहन में भरे गैस सिलेण्ड्रो को जोशी ऑटो गैस दुकान मे रखता हुआ पाया गया। डिलेवरी मेन से पुछताछ करने पर उसने बताया कि लक्ष्मण जोशी के नाम से उपभोक्ता क्रमांक 9779 पर डिलेवरी दी गई है। जिसकी बुकिग मौके पर करना बताया, परन्तु बुकिग के विरूद्व कोई बिल या मोबाईल एस.एम.एस नहीं पाया गया। मौके पर दुकान की जांच की गई। जांच करने पर दुकान पर विभिन्न कम्पनीयों के 08 सिलेण्डर पाये गये। जिसमे 06 सिलेण्डर भरे हुए एवं 02 सिलेण्ड़र खाली पाये गये। गैस सिलेण्ड़रो के बारे मे पुछताछ करने पर दुकान मे मौजुद व्यक्ति श्री रवि पंचाल पुत्र श्री नीरज पंचाल, निवासी भगत सिंह कॉलनी कोलेज रोड़ बांसवाडा ने बताया कि ये सिलेण्ड़र विभिन्न उपभोक्ताओं के है, परन्तु इस सम्बध मे कोई डायरी य अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए। तत्पश्चात् सागर गैस ऐजेन्सी के मेनेजर श्री बुरहान उपस्थित हुए और लक्ष्मण जोशी का बिल (146272) प्रस्तुत किया। मौके पर पाये गये 08 सिलेण्डरों क प्रमाणित हैगिग स्केल से तोल करने पर निम्नानुसार स्थिति पायी गयी :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.28 09:53:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

वजन

कि.ग्रा. मे

क्र. स.	नाम कम्पनी	गैस सिलेंडरों का एस. आर. नम्बर	तोलने पर प्राप्त वजन	खाली टंकी का वजन	गैस का वजन
1	BPCL	486558 J	30.6	16.0	14.6
2	HPCL	131035 T	29.0	15.5	13.5
3	HPCL	371350	29.3	15.6	13.7
4	HPCL	944331 T	30.0	15.6	14.4
5	HPCL	598224 J	30.0	15.7	14.3
6	BPCL	202497 T	30.0	15.6	14.4
7	HPCL	092700	15.6	15.6	0
8	HPCL	93057 T	15.9	15.9	0
योग					84.9

भरे हुए गैस सिलेंडर – 06
खाली गैस सिलेंडर – 02

कुल गैस सिलेंडर – 08
गैस का वजन 84.9 किलो ग्राम पाया गया।

दुकानदार द्वारा बिना वैध लाईसेन्स एल.पी.जी. का अवैध भण्डारण करना पाया गया। मौके पर पाए गए 08 गैस सिलेंडरो को मोतबिरानों की मौजूदगी में जब्त किये जाकर जय वालाजी गैस एजेंसी (HPCL) के कार्मिक श्री रकमचन्द पुत्र श्री केसरीमल निवासी सामापाडा, ग्रा.प. खोडी पीपली, तहसील आबापुरा की सुपुर्दगी में दिये गये एवं अग्रिम आदेश तक खुर्दबुर्द नहीं करने एवं सुरक्षित रखने हेतु पाबन्द किया गया है। साथ ही सक्षम अधिकारियों एवं न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। रवि पंचाल पुत्र श्री नीरज पंचाल द्वारा 8 घरेलु सिलेण्डरों में 84.9 किलो ग्राम गैस बिना वैध लाईसेन्स भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 4 (1 ए), 6 का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 प्रस्तुत कर मौके से जप्त 8 गैस सिलेण्डर (भरे हुए–6, खाली – 2गैस का वजन 84.9 किलो ग्राम) राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 05.04.2021 को जवाब पेश किया जिसकी प्रति [illegible] रोकार को दी गई। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह उल्लेख किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से गैस भण्डारण का काम नही करता है। समस्त गैस सिलेण्डरो को राजसात करने में अप्रार्थी द्वारा अनापत्ति व्यक्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.28 09:53:47 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 05.04.2021 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार द्वारा कथन किया गया कि रवि पंचाल पुत्र श्री नीरज पंचाल द्वारा 8 घरेलु सिलेण्डरों में 84.9 किलो ग्राम गैस

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

(32)

बिना वैध लाईसेन्स भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 4 (1 ए), 6 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके से जप्त 8 गैस सिलेण्डर (भरे हुए–6, खाली – 2गैस का वजन 84.9 किलो ग्राम) राजसात करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह उल्लेख किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से गैस भण्डारण का काम नही करता है। पाये गये गैस सिलेण्डर अनुख व्यक्तियों के है। समस्त गैस सिलेण्डरो को राजसात करने के सन्दर्भ में अप्रार्थी द्वारा अनापत्ति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से 8 घरेलु सिलेण्डर जिनमे से 6 भरे हुए 2 खाली मैसर्स जोशी ऑटो गैस हीरो मोटर शो रुम के सामने उदयपुर रोड बॉसवाडा पर पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से गैस सिलेण्डरों का भण्डार किया जाना पाया गया। चूंकि एल.पी.जी अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है इसलिए प्रकरण के अन्तिम निस्तारण से पूर्व हम इनका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः जब्त शुदा 8 घरेलु सिलेण्डर जिनमे से 6 भरे हुए 2 खाली गैस सिलेण्डरो, गैस का अवैध भण्डारण 84.9 किलो ग्राम को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा यह सुनिश्चित करे कि सक्षम न्यायालय द्वारा इन सिलेण्डरो को मांगे जाने पर उपलब्ध करायेंगे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.28 09:53:17 IST
Reason: SelfAttested